Annexure-C

वाणिज्य–कर विभाग

वित्त विधेयक के कर प्रस्तावों के संदर्भ में प्रेस नोट

कोयला, गिटटी, मार्बल, लकड़ी जैसी वस्तुओं के राज्य के बाहर से खरीद के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा के निर्गमन में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके अधीन व्यवसायियों द्वारा इन वस्तुओं पर देय कर के बदले एक निश्चित राशि अथवा एक निश्चित दर से संगणित राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में राज्य में प्रवेश के पूर्व ही कर दिया जाय। इस निमित्त बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में एक नइ धारा 15ख जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

वर्तमान में गैर–वेतन मद में आय प्राप्त करने वाले ऐसे पेशेवर जिनके द्वारा रु० 2500 की अधिकतम दर से पेशा कर का भुगतान, देय ब्याज समेत, कर दिया गया है उनके द्वारा विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं है। अन्य सभो ऐसे पेशेवरों द्वारा विवरणी दाखिल किया जाना अनिवार्य है जिस कारण विभाग पर अनावश्यक प्रशासनिक भार पड़ता है एवं ऐसे पेशेवरों को भी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः गैर वेतन मद में आय प्राप्त करने वाले सभी पेशेवरों को विवरणी दाखिल करन की बाध्यता से मुक्त करने हेतु बिहार पेश–कर अधिनियम की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव दिया जा रहा है।

मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,1994 में संशोधन का प्रस्ताव

(क) **सार्वजनिक यातायात में महिला को प्रोत्साहन हेतु पथकर में निम्न शर्तो के अधीन छूट देने का प्रस्ताव ह –**

''यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मैक्सी, मोटर कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित हो और उस वाहन का परिचालन उसी महिला या अन्य महिला चालक जिसके पास व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है तो वैसे वाहनों को पथकर में शतप्रतिशत छूट दी जायेगी''

(ख) निःशक्त जन के लिए वर्त्तमान में निःशक्त वाहनों पर वार्षिक कर रू. 17.50 प्रावधानित है । निःशक्त जनों को राहत देने हेतु उक्त कर में शत–प्रतिशत छूट का प्रस्ताव है ।

(ग) राज्य से बाहर निबंधित वाहनों के अस्थायी परिचालन पर करों में वृद्धि

राज्य से बाहर निबंधित वाहन यदि बिहार राज्य में बिना कर भुगतान किये या बिना वैद्य परमिट के परिचालित पाये जाने पर उनपर तीस दिनों के लिए अस्थायी परिचालन हेतु निर्धारित कर एवं उक्त के दुगुनी राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित करने का प्रस्ताव है । यह अर्थदण्ड किसी भी हालत में 5000.00 रू. से कम नहीं होगा ।

(घ) ई–पेमेंट रसीद को टैक्स टोकन के रुप में व्यवहृत किया जाना

राज्य सरकार द्वारा पथकर के भुगतान के लिए प्रारंभ की गई बैंक के माध्यम से ई–पेमेंट की विहित प्रक्रिया द्वारा वाहन स्वामी के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि से जमा की गई राशि के फलस्वरुप निर्गत कम्प्युटरीकृत टोकन ही टैक्स टोकन के रुप में व्यवहृत किये जाने का प्रस्ताव है। इस पर करारोपण पदाधिकारी हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा ।

(ड.) धारा 7 की उपधारा (5) में अर्न्तनिहित 'परन्तुक' का विलोपन

बिहार राज्य के बाहर निबंधित एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अस्थायी परमिट पर बिहार राज्य में परिचालित मोटर वाहन हेतु वाहनों के करों में मुद्रास्फीति के अनुरुप वृद्धि करना

संभव नहीं हो पाने के कारण बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उपधारा (5) में **अर्न्तनिहित 'परन्तुक' को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव है।**